

(ख) इस प्रकार की रियायतें देने वाले बैंकों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या ब्यौरा है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री श्रीरामजी बेसाई) (क) : बैंकों द्वारा दिये गये अधिमों के सम्बन्ध में, उनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर आम तौर पर कई बातों पर निर्भर होती है, जैसे ऋण के लिए उपलब्ध जमानत, ऋण देने का प्रयोजन, पार्टी की साख और उसका पूर्ववृत्त। इस प्रयोजन के लिए, उधारकर्ताओं का बड़े और छोटे पूंजीपतियों के रूप में वर्गीकरण नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बैंकों के डायरेक्टरों द्वारा पूंजी का उपयोग

3488. श्री शशि भूषण बाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य खातेदारों की तुलना में भारतीय बैंकों के डायरेक्टरों द्वारा अपने निजी उद्योगों के लिये इन बैंकों की कितने प्रतिशत पूंजी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में बैंकवार ब्यौरा क्या है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री श्रीरामजी बेसाई) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये कुल अधिमों के सम्बद्ध प्रतिशत अनुपात की जानकारी चाहते हैं। इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [पुस्तकालय में रख दिया गया देखिये संख्या LT-421/68]।

आदिवासियों को शिक्षा की सुविधायें

3489. श्री लाखन लाल गुप्त :

श्री अ० सि० सहगल :

श्री यशबन्त सिंह कृशाह :

क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की

सुविधायें बढ़ाने से उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को एक विशेष योजना प्रस्तुत की है और उसे कार्यान्वित करने के लिये विशेष वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगा गया अनुपूरक अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गूह). (क) से (ग) वार्षिक योजना के विवेचन के समय कार्यक्रमों के ब्यौरे तथा वित्तीय नियतन के विषय में राज्य प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर लिया जाता है; तो भी समय समय पर कई राज्य अतिरिक्त राशियों की मांग पेश करते हैं। योजना आयोग से विचार विमर्श करके कार्यक्रमों के लिये नियत राशियों को अन्तिम रूप दिया जाता है और उन्हें बजट प्राक्कलन में समाविष्ट कर लिया जाता है।

संसद द्वारा विभाग के बजट का अनुमोदन होने के पश्चात् राज्यों द्वारा की गई मांगों के सम्बन्ध में कार्यक्रमों में छोटे परिवर्तनों, जिनके विषय में पुनर्विनियोग हो सकता है को छोड़ कर प्रायः नई और बड़ी मांगों को मानना शक्य नहीं होता।

अतः आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल और छात्रावास खोलने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के बड़े नियतन के प्रस्तावों को 1966-67 तथा 1967-68 के बजट अनुदानों में नहीं रखा जा सका।

गोरा में नर्मदा नदी पर बांध

3490. श्री लाखन लाल गुप्त :

श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या रिट्चाई और बिद्युत मंत्री 14 दिसम्बर 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :